सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 1846/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

मदन पुत्र चतुर्भुज जाति लोधा निवासी लोधो का झोपडा (चिकल्या) तहसील सावर जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र खानाराम सेन निवासी आमलीखेडा तहसील सावर जिला अजमेर
2. छोटू पुत्र रूपा जाति लोधा
3. रामकरण पुत्र उगमा लोधा
4. गोपाल पुत्र रामा लोधा
5. भैरू पुत्र रामपाल लोधा
   तमाम जाति लोधा निवासी लोधो का झोपडा (चिकल्या) तहसील सावर जिला अजममेर।
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सावर जिला अजमेर।

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1. मगनलाल लोधा एडवोकेट वादी
2. पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार सावर तह.सावर जिला अजमेर

निर्णय **दिनांकः–04.05.18**

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वाद ग्रस्त की भूमि वाके ग्राम/कस्बा चिकल्या तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 1 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 133, 136, 137, 241 कुल किता 4 कुल रकबा 1.62 है. का प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत जमाबन्दी में नामान्तकरण सं. 929 दिनांक 25.5.15 से जर्ये डिक्री वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार कृषक घोषित करने से नामान्तकरण अंकन गैर खातेदारी दर्ज होना स्वीकार कर दर्ज नोट है। वादी ने वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी हेतु वादी ने दावा पेश किया है वादग्रस्त भूमि खातेदारी की आराजी है जिसमें प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा आदि किसी प्रकार का सरोकार नही है। किन्तु प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी के पडोसी खातेदार है जो वादग्रस्त आराजी की सीमाओं को लेकर आये दिन लडाईझगडे करते रहते है। लेण्डलार्ड (भूमि का मालिक) होने से प्रतिवादी को पक्षकार बनाया गया है। वादी वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः वादी का दावा स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी की तलबी की गयी। प्रतिवादी को जवाब पेश करने हेतु दिनांक 23. 11.2017 से 21.03.2018 तक का समय दिया गया जो कि 90 दिन स अधिक समय हो

जाने पर जवाब पेश नही किया है। लिहाजा प्रतिवादी का जवाब बन्द कर प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है।

बहस के दौरान वकील वादी ने वादग्रस्त तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया कि वादी की वादग्रस्त की भूमि वाके ग्राम/कस्बा चिकल्या तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 1 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 133, 136, 137, 241 कुल किता 4 कुल रकबा 1.62 है. की पत्थरगढी हेतु वादी ने दावा पेश किया है वादग्रस्त भूमि खातेदारी की आराजी है। वादग्रस्त आराजी में वादी के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा या अन्य सरोकार नही है। वादी की स्वयं की आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। जिसे स्वीकार फरमाने की प्रार्थना वादी के अधिवक्ता ने की है।

प्रतिवादी 1 से 5 को जवाब हेतु समय दिया गया जिसमें 90 दिन पश्चात भी जवाब पेश नही किया गया लिहाजा प्रतिवादी 1 से 5 का जवाब बन्द कर बहस एक तरफा सुनी गयी। बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि वादी अपनी स्वयं की आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। वादग्रस्त आराजी वादी की स्वयं की खातेदारी की आराजी है तथा वादग्रस्त आराजी बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक मेहरूकला में रहन दर्ज है। वादग्रस्त आराजी वादी की खातेदारी में होने से पत्थरगढी किये जाने में प्रतिवादी को कोई एतराज नही है।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। जिसमें वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी होने से वादी का प्रेमापैसाई केस होना पया जाता है। वाद पत्र का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना जाहिर होता हे।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का ग्राम लोधों का झोपडा (चिकल्या) तहसील सावर के वादग्रस्त भूमि के जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 1 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 133, 136, 137, 241 कुल किता 4 कुल रकबा 1.62 है. भूमि का पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार सावर को वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा कर वादग्रस्त भूमि पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना) मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी केकडी

राजस्व वाद संख्या – 1846/2017

मदन **बनाम** गोपाल वगै.

अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
31.05.2018	पत्रावली आज पुनः वकील वादी श्री मगनलाल लोधा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते आदेश दिनांक 04.05.2018 में विवादग्रस्त आराजी के खाता नम्बर व खसरा नम्बर मय रकबा दुरूस्त करने बाबत प्रार्थनापत्र पेश करने से पुनः तारीख पेशी पर ली गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी को सुना गया। वकील प्रार्थी/वादी ने निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.05.2018 में विवादग्रस्त आराजी का खात नम्बर 1 व खसरा नम्बर 133,136,137,241 कुल किता 4 कुल रकबा 1.62 हैक्ट. तथा नामान्तकरण संख्या 929 दिनांक 25.05.2015 जो कि निर्णय के पेरा संख्या 1, 3 व अन्तिम पेरा मे वर्णन किया गया है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व नकल जमाबन्दी में वादग्रस्त आराजी के खाता नम्बर 239 में दर्ज खसरा नम्बर 157, 158, 159, 162, 223, 228, 230, 231, 232, 243, 244, 245, 246, 276/2612, 293, 316/2582, 326, 327, 328, 346 कुल किता 20 कुल रकबा 3.57 है. तथा नकल जमाबन्दी में नामान्तकरण संख्या 827 अंकित है का वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि निर्णय दिनांक 04.05.2018 में नामान्तकरण संख्या व खाता संख्या व खसरा नम्बर व रकबा गलत अंकन हो गये है जिसका सुधार किया जावे। हमने प्रस्तुत प्रार्थनापत्र व मूल पत्रावली व निर्णय का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य बनता है। अतः न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 04.05.2018 में खाता नम्बर 1 खसरा नम्बर 133,136,137,241 कुल किता 4 कुल रकबा 1.62 हैक्ट. व नामान्तकरण संख्या 929 के स्थान पर खाता नम्बर 239, खसरा नम्बर 157, 158, 159, 162, 223, 228, 230, 231, 232, 243, 244, 245, 246, 276/2612, 293, 316/2582, 326, 327, 328, 346 कुल किता 20 कुल रकबा 3.57 है. व नामान्तकरण संख्या 827 पढा जाकर निर्णय पालना सुनिश्चित की जावे। प्रार्थनापत्र मय मूल पत्रावली पुनः फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हों। उपखण्ड अधिकारी केकडी	